राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग

कमरा न. 8325, उत्तरी–पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर
फोन : 0141–2227669, 2227393 फैक्स नं. 0141–2227669
ई–मेल env_raj@yahoo.co.in

5 FEB 2019

क्रमांक : F.8(5)/EIA/Env./2006 जयपुर, दिनांकः 04.02.2019

निविदा सूचना – 3

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निदेशालय पर्यावरण विभाग, जयपुर में राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियिमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि, 1952, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत एवं वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्मो/कम्पनियों के माध्यम से कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 29.02.2020 तक की अवधि में 03 मशीन विद मैन (उच्च कुशल श्रमिक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर, प्रिंटर इत्यादि) की सेवायें जॉब बेसिस उपलब्ध करवाने हेतु मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते इस निविदा के साथ संलग्न हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 05.02.2019 से 14.02.2019 तक की अवधि में (कार्य दिवसों में) कार्यालय समय में इस कार्यालय की रोकड शाखा से निर्धारित निविदा शुल्क राशि रू0 200/–नकद जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा राजस्थान लोक उपापन पोर्टल (www.sppp.raj.nic.in) एवं विभागीय वेबसाईट (www.environment.rajasthan.gov.in) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड की गई निविदा के साथ निविदा शुल्क राशि रू0 200/– एवं निविदा की अनुमानित राशि रू. 4.00 लाख की 2 प्रतिशत अमानत राशि रू. 8,000/– का पृथक–पृथक डीडी जो कि निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, जयपुर के नाम देय हो संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि एवं वांछित दस्तावेजों के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

पूर्ण रूप से भरी हुई निविदायें दिनांक 15.02.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक इस निदेशालय के कमरा नम्बर 8325, उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में जमा की जाकर उसी दिन दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

ह0
(मोनाली सेन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : F.8(5)/EIA/Env./2006 जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राज0, जयपुर को उक्त निविदा सूचना की सात अतिरिक्त प्रतियां एवं सीडी संलग्न कर लेख है कि उक्त निविदि सूचना का प्रकाशन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करा कर इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करावें।
2. उप निदेशक (आईटी), राजस्थान लोक उपापन नियम, कार्यालय हाजा को उक्त निविदा सूचना को राजस्थान लोक उपापन नियम पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. लेखाकार/कैशियर, निदेशालय पर्यावरण विभाग, जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग

कमरा न. 8325, उत्तरी–पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर
फोन : 0141–2227669, 2227393 फैक्स नं. 0141–2227669

कार्य का नामः– मशीन विद मैन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर का जॉब कार्य

निविदा–प्रपत्र

पर्यावरण विभाग, जयपुर में 03 मैन विथ मशीन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य जॉब बेसिस पर कराने हेतु निविदा।

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी/बेलीदाता/कम्पनी का नाम एवं पूर्ण पताः...
....
....
2. ई मेल आईडीः मोबाईल नं
3. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक– 15.02.2019 दोपहर 2:00 बजे तक
4. निविदा खोले जाने की दिनांक –15.02.2019 दोपहर 3:00 बजे
5. निविदा सूचना संख्या...................... दिनांक..........................
6. निविदा शुल्क जमा कराने का विवरणः–
7. अमानत राशि जमा कराने का विवरणः–
8. जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपासन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगीः–

क्रं. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	EPI दर प्रतिशत	समग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
	मशीन विद मैन मय कम्प्यूटर	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदुरी दर	श्रमिक की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	मशीन विद मैन मय कम्प्यूटर	उच्च कुशल (मैन विथ मशीन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर)	रू0 7358/– प्रतिमाह एवं रू0 283/– प्रतिदिन	03	7358X3= 22074.00 प्रतिमाह	13.61%	4.75%			

उपरोक्त दरों पर वस्तु एवं सेवा (GST) की नियामनुसांर दर प्रतिशत में.................................

उपर्युक्त तालिका में सतम्भ संख्या 8 एवं 9 ही बेलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जानी है।

नोटः– श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

मुझे इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता

निविदा की शर्ते

1. निविदा ठीक प्रकार से मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा लिफाफे पर मशीन विद मैन का कार्य जॉब बेसिस पर कराने हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। निविदा विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. अनुमोदित बोलीदाता/संवेदक की अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 29.02.2020 तक होगी तथा कार्य संतोषजनक होने की स्थिति मे ठेका अवधि को आगामी छः माह तक बढाने एवं अनुबन्ध की अवधि को कम व अधिक करने का पूर्ण अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण को होगा।
3. ठेका अनुमोदन होने पर अनुमोदित/संवेदक द्वारा रू0 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सात दिवस की अवधि मे अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय बोलीदाता/संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। सफल बोलीदाता/संवेदक को अनुमोदित ठेका राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी/बैकर चैक जो कि **"निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण, जयपुर"** के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। प्रतिभूति राशि पर इस कार्यालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा मशीन विद मैन के कार्य पर जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर पूर्णतः अस्थाई होंगे तथा जॉब बेसिस के अनुबन्ध की अवधि समाप्त होते ही जॉब कार्य में लगाये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं कोई भी कम्प्यूटर नियमित नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को जॉब कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर से जॉब बेसिस पर प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सांय 6:00 बजे तक जॉब कार्य सम्पादित कराना होगा। आवश्यकता होने पर राजकीय अवकाश एवं कार्यालय समय पूर्व व पश्चात भी जॉब कार्य सम्पादित कराना होगा। कार्य दिवसों में प्रतिदिन 03 कम्प्यूटर ऑपरेटरों से जॉब बेसिस पर मशीन विद मैन का कार्य कराया जावेगा तथा जॉब बेसिस लिये गये मशीन विद मैन की संख्या को कम व अधिक करने का निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण को पूर्ण आधिकार होगा।
7. बोलीदाता/संवेदक के किसी श्रमिक द्वारा कार्य नें व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधी प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस श्रमिक को हटाने के निदेश बोलीदाता/संवेदक को देता है तो बोलीदाता/संवेदक द्वारा उस श्रमिक को तुरन्त हटाना होगा।
8. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह बोलीदाता/संवेदक स्वंय के खर्चे पर प्राप्त करेगा तथा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता/संवेदक को अपने कामकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरिक्षत रखने की जिम्मेदारी बोलीदाता/संवेदक की होगी। इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. बोलीदाता/संवेदक को निदेशालय में स्थापित किये जाने वाले सभी कम्प्यूटर उपकरण (कम्पलीट यूनिटः यथा सीपीयू, मॉनीटर, की–बोर्ड, माउस, प्रिंटर व यू.पी.एस इत्यदि) निम्नांकित स्पेशीफिकेशन के अनुरूप उपलब्ध कराने होंगेः–

   Computer:- Intel Core 13/Equlvalent AMD based Computer or higher speed, RAM 4GB or higher, Hard Disk 500 GB, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 mbps LAN Card DVD Writer, Standard keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports, Windows 7 or higher, Anti Virus, Pre-installed MS office 2007 or higher. Responsibility of softwere license will be borne by bidder.

10. उपकरण स्थापित करने लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था इस निदेशालय द्वारा की जावेगी। कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके संबंधी व्यवस्था इस निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
11. बोलीदाता/संवेदक को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर आपॅरेटर की सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता

द्वारा दिया जावेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा रिफलिंग पर होने वाला व्यय वहन किया जायेगा परन्तु प्रिंटर की कार्टेज खराब होने पर बोलीदाता/संवेदक द्वारा स्वंय के खर्चे पर नई टोनर कार्टेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

12. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जायेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह कम्प्यूटर ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कराण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/– रूपये की कटौती की जावेगी।
13. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग द्वारा चार कार्य दिवस की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होगे एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह बोलीदाता/संवेदक को अन्यत्र स्वंय के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
14. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति मे संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता/संवेदक की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता/संवेदक की होगी। यदि मरम्मत मे आधिक समय लगने की संभावना होगी तो बोलीदाता/संवेदक को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
15. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता बोलीदाता/संवेदक को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त **(Repudiate)** किया जा सकेगा।
16. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
17. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
18. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने तथा विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बिल प्रमाणीकरण उपरांत कोषालय से बिल पारित पद्धति से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई है तो वसूलियां भुगतान किये जाने वाले बिल से की जावेगी।
19. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (पर्यावरण विभाग व अनुमोदित बोलीदाता/संवेदक द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

20. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क.स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1945				
4	वस्तुत एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

21. जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगीः–

क्रं. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	EPI दर प्रतिशत	समग्री राशि / उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
	मशीन विद मैन मय कम्प्यूटर	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदुरी दर	श्रमिक की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	मशीन विद मैन मय कम्प्यूटर	उच्च कुशल (मैन विथ मशीन मय कम्प्यूटर ऑपरेटर)	रू0 7358/– प्रतिमाह एवं रू0 283/– प्रतिदिन	03	7358X3= 22074.00 प्रतिमाह	13.61%	4.75%			

उपरोक्त दरों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) (यदि लागू हो) दर प्रतिशत में ....

उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 ही बोलीदाता/संवेदक द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जानी है।

22. उक्त न्यूनतम मजदूरी से कम दर की निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
23. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता/संवेदक का होगा।
24. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
25. बोलीदाता/संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
26. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान कराने का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता/संवेदक का होगा।
27. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
28. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई. एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
29. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
30. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
31. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के

बिल वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

32. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
33. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1984 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्टापूर्व पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
34. नियोजित श्रमिकों का 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक को होगा।
35. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
36. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक **Debar** कराने की कार्यवाही करेगी।
37. ठेकेदार को भुगतन कोषालय से बिल पारित पद्धति से किया जावेगा।
38. स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
39. इस निविदा प्रकिया के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदशिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम/उपनियम तथा वित्त (G&T) विभाग के प्रावधान लागू होंगे।
40. मशीन विद मैन के कार्य हेतु स्नातक एवं आर.एस.सी.आई.टी. सर्टिफिकेटधारी कम्प्यूटर ऑपरेटर जिन्हें कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस में एम.एस. वर्ड, एक्सल, इन्टरनेट इत्यादि कम्प्यूटर से संबंधित हिन्दी एवं अंग्रेजी में अच्छी तरह कार्य करना आता हो उपलब्ध कराने होंगे। कम्प्यूटर ऑपरेटर के विलम्ब से आने अथवा सेवायें संतोषप्रद नहीं होने पर उसके स्थान पर बोलीदाता/संवेदक द्वारा अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध करवाया जावेगा। उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा किसी प्रकार का नुकसान किये जाने पर हुई हानि का भुगतान बोलीदाता/संवेदक द्वारा किया जावेगा। उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर आपरेटर को दिये गये दस्तावेज आदि की समस्त जिम्मेदारी फर्म/सेवा प्रदाता एजेन्सी बोलीदाता/संवेदक की होगी। बोलीदाता/संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर को यदि ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की क्षति या हानि होती है तो उससे उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों एवं दायित्वों के लिये फर्म/सेवा प्रदाता एजेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगी। इसके लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
41. कम्प्यूटर सेवाओं के साथ उपलब्ध करवाये जाने वाले प्रशिक्षित कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में आने जाने के तौर, तरीके एवं सामान्य नियम (धुम्रपान न करना, सफाई व्यवस्था कायम रखना, गपशप न करना आदि) का ध्यान रखना होगा।
42. विभाग की समस्त सूचनाऐं गोपनीय रखी जावेगी।
43. कार्य हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में करना होगा।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित 1 से 43 तक सभी शर्तों को भली-भांति पढ़ लिया है एवम् समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने लिये सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम, पता एवं सील

क. स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1945				
4	वस्तुत एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

*****